प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2025

विषय:- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कलवा उर्फ कल्लू उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र श्री हाजी अमानत, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-705/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024), दिनांक 07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कलवा उर्फ कल्लू उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र श्री हाजी अमानत, नक्कार चियान, थाना-कोतवाली, जनपद-मेरठ का निवासी है। लड़की के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 22/23.05.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छूरी व रिवाल्वर से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 1973/2023 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 364, 201, 404, 411, 302/149 के अन्तर्गत मा० अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं०-02 (भ्रष्टा०निवा०अधि०), मेरठ के आदेश दिनांक 05.08.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 01.10.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 22 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 28 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने एवं समाज में भय व्याप्त करने की श्रेणी में होने, समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भी अन्य अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, पीड़ित परिवार में सुरक्षा की भावना बनी रहने के दृष्टिगत रखते हुए जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि लड़की के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 22/23.05.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छूरी व रिवाल्वर से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कलवा उर्फ कल्लू उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र श्री हाजी अमानत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कलवा उर्फ कल्लू उर्फ अब्दुल रहमान (बंदी संख्या-387/2024) पुत्र श्री हाजी अमानत, निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-790/2025/115(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-790/2025/115/22-2-2025-17(119)/2025

दिनांक 15 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कलवा उर्फ कल्लू उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र श्री हाजी अमानत, नक्कार चियान, थाना-कोतवाली, जनपद-मेरठ का निवासी है। लड़की के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 22/23.05.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छूरी व रिवाल्वर से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-1973/2023 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 364, 201, 404, 411, 302/149 के अन्तर्गत मा० अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं०-02 (भ्रष्टा०निवा०अधि०), मेरठ के आदेश दिनांक 05.08.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 01.10.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 22 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 28 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने एवं समाज में भय व्याप्त करने की श्रेणी में होने, समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भी अन्य अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, पीड़ित परिवार में सुरक्षा की भावना बनी रहने के दृष्टिगत रखते हुए जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि लड़की के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 22/23.05.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छूरी व रिवाल्वर से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कलवा उर्फ कल्लू उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र श्री हाजी अमानत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।